संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 295 / 2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भंवरलाल पुत्र राणाराम माली निवासी– ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. प्रकाशमल पुत्र राणाराम माली निवासी– सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर। 2. सरपंच, ग्राम पंचायत सालावास, पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.03.2022 जो राजस्व अपील संख्या 10/2021 अनवान प्रकाशमल बनाम भंवरलाल वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, लूणी ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री धनपत चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से।
3– रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 07 नवम्बर, 2022

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सालावास तहसील लूणी के कृषि भूमि खसरा संख्या 37 व 559/1 कुल रकबा 62 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है जिसके खातेदार राणाराम पुत्र लालूराम थे। राणाराम का दिनांक 13.8.2011 को स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के समय उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनके पुत्र प्रकाशमल व भंवरलाल तथा पुत्रियां पुष्पा व पानी तथा धर्मपत्नी पेंपीदेवी थे। भंवरलाल, पेंपीदेवी, पानीदेवी व पुष्पा ने उपरोक्त कृषि भूमि में अपने अधिकारों बाबत ख0सं0 37 में एक हकतर्कनामा प्रकाशमल के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया। इसी प्रकार प्रकाशमल, पेपीदेवी, पानीदेवी व पुष्पादेवी ने खसरा संख्या 559/1 में अपने हक अधिकारों बाबत हकतर्कनामा भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया। उक्त हकतर्कनामो के पश्चात विरासत का नामा0 संख्या 3057 दिनांक 19.11.12 को प्रकाशमल व भंवरलाल पिसरान राणाराम के नाम स्वीकार किया गया। भंवरलाल व प्रकाशमल ने उपरोक्त भूमि का आपसी समझाईश से विभाजन तहसीलदार के समक्ष करवा लिया एवं विभाजन के अनुसार ख0सं0 37 रकबा 43.07 बीघा प्रकाशमल के हिस्से में रही व ख0सं0 559/1 रकबा 19.03 बिस्वा भंवरलाल पुत्र राणाराम के बंट में रही। तत्पश्चात विभाजन अनुसार नामा0 स्वीकृत हो गये।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या एक प्रकाशमल ने नामा0 संख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणी न्यायालय के समक्ष पेश की जिसे दिनांक 24.03.22 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। जब अपीलार्थी ने बैंक मे नये ऋण लेने हेतु आवेदन किया तब उसे बताया गया कि खाते में भंवरलाल का नाम नहीं है तथा पूरी जमीन राणाराम के नाम दर्ज की जा चुकी

है। तब दिनांक 6.6.22 को अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने पर आदेश जारी होने की जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 की अपील पर सरसरी तौर पर निर्णय करते हुए अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की है क्योंकि अपील में निहित विवादास्पद बिन्दू पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 ने अधिनस्थ न्यायालय से गलत तथ्यों के आधार पर अपील को स्वीकार कर गुमराह करने का प्रयास किया गया क्योंकि अपील पत्र में भंवरलाल को जेठाराम का पुत्र बताकर उसका गलत पता लिखा, अपीलार्थी का राशन कार्ड, वोटरलिस्ट, आधारकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज में भंवरलाल पुत्र राणाराम ही लिखा है एवं अपीलार्थी स्व0 राणाराम का पुत्र है तथा ग्राम सालावास का स्थाई निवासी है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध हकतर्कनामा सम्बन्धी दस्तावेजों का गलत अर्थ निकाला है। उक्त हकतर्कनामें में स्वयं रेस्पो0 पक्षकार था एवं इन दस्तावेजों के आधार पर जो राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये गये उनका फायदा रेस्पो0 संख्या एक ने उठाया एवं उसी अनुसार आपसी समझाईश से भूमि का विभाजन तहसीलदार से करवाकर स्वीकार किया गया। अपीलाधीन आदेश में ग्राम गागुडा में स्थित भूमि के संदर्भ में जिस मुकदमें का उल्लेख किया गया है वह मुकदमा स्वयं रेस्पो0 प्रकाशमल ने ही अपीलार्थी भंवरलाल के अशिक्षित होने का नाजायज फायदा उठाकर करवाया ताकि अपने पक्ष में शहादत तैयार कर सके, अन्यथा अपीलार्थी का उस भूमि से कोई ताल्लुक नहीं है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक सीधे सादे मामले को अनावश्यक रूप से उजझा दिया है एवं निर्णय में ऐसे तथ्य अंकित कर दिये गये जिनका वर्तमान मामले में कोई सम्बन्ध नहीं है एवं न ऐसे में बिन्दुओं पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय सक्षम था। अपीलार्थी आज भी ख0सं0 559/1 रकबा 19.03 बीघा भूमि पर बहैसियत खातेदार के एवं माफिक बंटवाडा काबिज है तथा ग्राम में अपीलार्थी का रहवासीय मकान भी रेस्पो0 संख्या एक के पास ही एक ही बाडे में बने हुए है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2022 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं0 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि रेस्पो0 संख्या एक के पिता स्व0 राणाराम पुत्र श्री लालूराम की थी जिनके वारिसान उनकी पत्नी श्रीमती पेपोंदेवी(फौत), पुत्र प्रकाशमल, पुत्री राधा, पुत्री पानीदेवी, पुत्री पुष्पादेवी (फौत) थे। राणाराम का पूर्व में विवाह वर्ष 1955 में श्रीमती आसीदेवी के साथ ग्राम चोखा में हुआ था लेकिन राणाराम व आसीदेवी का दाम्पत्य जीवन का सुचारू रूप से निवर्हन नहीं होने के कारण छूट–पल्ला होने के पश्चात श्रीमती पेपीदेवी के साथ

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वर्ष 1960 में नाता हुआ। पूर्व में पेपीदेवी का विवाह जेठाराम पुत्र दौलाराम के साथ वर्ष 1954 में ग्राम गागुडा में हुआ था, जिनसे अपीलान्ट भंवरलाल का वर्ष 1957 में जन्म हुआ, तत्पश्चात जेठाराम का देहान्त वर्ष 1958 में हो जाने पर पेपीदेवी के द्वारा राणाराम के साथ पुनर्विवाह किया। राणाराम व पेपीदेवी के दाम्पत्य जीवन से रेस्पो0 संख्या एक प्रकाशमल वर्ष 1962 में, राधा का जन्म वर्ष 1965 में, पानीदेवी का जन्म वर्ष 1967 में व पुष्पा का जन्म वर्ष 1970 में हुआ। राधा व पुष्पा का देहान्त हो चुका है। पानीदेवी जीवित है, उक्त के अलावा कोई अन्य संतान राणाराम के नाम नहीं है।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की माता पेपीदेवी द्वारा उनके पिता से पुनर्विवाह करने के समय अपीलान्ट भंवरलाल की आयु करीब 2–3 वर्ष होने की अवस्था में वह श्रीमती पेपीदेवी के साथ ग्राम सालावास में आकर रहा और पला बढा। लेकिन भंवरलाल जो कि जेठाराम का जायन्दा पुत्र होने की अवस्था में भंवरलाल का जेठाराम की जायदाद वाके गागुडा में आई होने की अवस्था में जेठाराम की चल व अचल सम्पति पर एकमात्र हक–हिस्सा है। रेस्पो0 संख्या एक के पिता राणाराम की सम्पति में उनका कोई हक–हिस्सा नहीं हैं।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राणाराम के द्वारा अपने जीते–जी उक्त खसरान संख्या 37 की 51.07 बीघा रकबा भूमि में से रकबा 08 .00 बीघा का बेचान श्रीमती सूरजदेवी पत्नी ओमप्रकाश वैष्णव व श्रीमती सुशीला देवी पत्नी राजेन्द्र प्रकाश वैष्णव को संयुक्त रूप से कर दिया गया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 2364 स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात राणाराम के पास वादग्रस्त खसरो की कुल 62 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी में शेष रहीं और उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में दर्ज की गई।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट भंवरलाल के पिता जेठाराम की कृषि भूमि ख0सं0 52 रकबा 1.8900 हैक्टर, ख0सं0 53 रकबा0.7200 हैक्टर एवं ख0सं0 54 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बाराणी अव्वल कुल 03 रकबा का योग 3.4100 हैक्टर वाके ग्राम गागुडा तहसील सोजत में आई हुई होने तथा व उसका एकमात्र उत्तरधिकारी भंवरलाल है। लेकिन भंवरलाल के सालावास में रहने के कारण उसकी भुआ श्रीमती चौथी पत्नी बुधाराम के द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त करना व बाद में सोहन व नेमाराम के पिता भूराराम ने भंवरलाल को 15–20 वर्ष फौत बताकर उपरोक्त भूमि भूराराम पुत्र बुधाराम के नाम जरिये विरासत नामा0 933 दिनांक 25.3.2011 को स्वीकृत करवा लिया। भूराराम के फौत होने पर उनके विरासत का नामा0 संख्या 960 दिनांक 5.3.2011 के जरिये सोहन, परसाराम, नेमाराम, भंवरलाल व पत्नी मूलीदेवी, पुत्रियॉ नाजीदेवी व प्रेमीदेवी के नाम स्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात भूराराम के वारिसान द्वारा नेमाराम पुत्र भूराराम के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादन किये जाने पर नामा0 संख्या 1190 दिनांक 6.8.13 को स्वीकृत हुआ। नेमाराम ने उक्त भूमि में से 15/63 हिस्सा पुखराज पुत्र अमराराम व बिशनाराम पुत्र अमराराम को एवं 27/63 हिस्सा लखाराम, शेषाराम, राजाराम, दिनेश पिसरान वानाराम को दिनांक 25.7.14 को बेचान कर दिया जिस पर नामा0 संख्या 1231 दिनांक 22.9.14 स्वीकृत हुआ। उक्त स्वीकृत किये गये

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नामान्तरकरणों की जानकारी भंवरलाल को होने पर राजस्व कार्मिकों इत्यादि के विरूद्ध एक परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के समक्ष पेश किया जिस पर बाद अनुसंधान आरोप पत्र जारी होकर पेश किये गये जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट भंवरलाल पुत्र जेठाराम की उल्लेखित पैतृक कृषि भूमि में अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हो जाने के पश्चात रेस्पो0 भंवरलाल के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सोजत के समक्ष प्रथम राजस्व अपील प्रस्तुत कर नामा0 संख्या 933 दिनांक 25.3.11, नामा0 संख्या 960 दिनांक 5.3.11, नामा0 संख्या 1190 दिनांक 6.8.13 एवं नामा0 संख्या 1231 दिनांक 22.9.14 को निरस्त करवाने हेतु पेश की जिसमें धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 30.1.19 को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध सोहनलाल, नेमाराम पुत्रान भूराराम द्वारा अपीलान्ट भंवरलाल व अन्य के विरूद्ध एक निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 789/2019 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, सोजत एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है।

इस आधार पर यह प्रकट है कि अपीलान्ट भंवरलाल जो जेठाराम का जाईन्दा पुत्र है एवं अपने पिता जेठाराम की चल-अचल सम्पति में ही उनका हक-हिस्सा निहित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट जेठाराम का विधिक उत्तराधिकारी होने से जेठाराम की सम्पति में ही हक-हकूक प्राप्त हो रखे है।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट भंवरललाल को बाल्य अवस्था में ही मेरी माता पेपीदेवी के साथ आने व मुझ रेस्पो0 के द्वारा पूर्व में नासमझी की अवस्था में अपना समझते हुए साथ में रखा तथा पिता श्री राणाराम का देहान्त दिनांक 13.8.2011 हो जाने के पश्चात राणाराम के ख0सं0 37 व 559/1 की कुल 62 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट प्रकाशमल व रेस्पो0 सख्या एक एवं रेस्पो0 संख्या एक की बहनों द्वारा ख0सं0 37 रकबा 43 बीघा 7 बिस्वा भूमि बाबत रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में हकतर्कनामा दिनांक 18.1.2012 को निष्पादित किया तथा ख0सं0 559/1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि को अपीलान्ट भंवरलाल के हक में रेस्पो0 संख्या एक व उनकी माता व बहिनों द्वारा हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया जो पंजीकृत करवाये गये। अपीलान्ट भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित हकतर्कनामें के आधार पर नामा0 संख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 को स्वीकृत हुआ।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि पूर्व में अपीलान्ट भंवरलाल की पैतृक सम्पति ग्राम गागुडा में होने के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पो0 संख्या एक को इसकी जानकारी होने तथा ग्राम गागुडा में उल्लेखित कृषि भूमि को फर्जी तरीके से नामा0 स्वीकृत हो जाने पर अपीलान्ट भंवरलाल के द्वारा फौजदारी व दीवानी कार्यवाही की गई है। ऐसी अवस्था में अपीलान्ट जेठाराम का जाईन्दा पुत्र होने तथा जेठाराम की चल व अचल सम्पति में हक-हिस्सा होने व रेस्पो0 संख्या एक प्रकाशमल की पैतृक कृषि भूमि ग्राम सालावास में कोई हक-हिस्सा नहीं होने की अवस्था में नामा0 संख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 जो ग्राम पंचायत सालावास के द्वारा स्वीकृत किया गया वो विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य था। इसके अतिरिक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रावधानों के तहत भी अपीलान्ट भंवरलाल को रेस्पो0 संख्या एक प्रकाशमल की पैतृक कृषि भूमि किसी प्रकार का कोई हक–हिस्सा नहीं बनता था, क्योंकि अपीलान्ट स्व0 राणाराम का विधिक उत्तराधिकारी नहीं था।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 3057 बिना स्व0 राणाराम के उत्तराधिकारियों की जॉच किये स्वीकृत किया गया, वो शून्य होने से निरस्त योग्य था। रेस्पो0 संख्या एक को नामा0 की दिनांक 25.6.2021 को जानकारी होने पर, अपीलान्ट भंवरलाल जेठाराम का जाईन्दा पुत्र व अपीलान्ट के पिता जेठाराम की चल–अचल सम्पति में हक–हिस्सा निहित होने की अवस्था में अपीलाधीन नामा0 संख्या 3057 को निरस्त कराने हेतु एक प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त समस्त आधारों पर मनन करने तथा अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या एक की पूर्ण सुनवाई करने के उपरान्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 को निरस्त करते हुए स्व0 राणाराम पुत्र लालूराम निवासी ग्राम सालावास के विधिक वारिसान की जॉच कर एवं नामा0 संख्या 3057 के कॉलम संख्या 14 से 16 मे वर्णित पंजीबद्ध हकतर्कनामों को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से नामा0 पारित करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2022 को पारित किया गया है जो विधि अनुकूल व उचित रूप से पारित किया गया है। उसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं की जिसके आधार पर उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अतः उक्त आदेश बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वर्तमान अपील में अपीलान्ट के द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वह आधारहीन व सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2022 को यथावत बहाल रखा जावें। रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन निर्णय नजीर 2016(4) डीएनजे पेज 1799 शान्तीदेवी बनाम राज्य सरकार, आरआरडी, 1988 पेज 628, रतनलाल बनाम धीराराम, आरआरटी 2005(2) पेज 774 केशूराम बनाम यूआईटी उदयपुर अवलोकनार्थ पेश की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 24.03.2022 का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि श्रीमती पेपीदेवी पत्नी स्व0 राणाराम, प्रकाशमल, पुष्पा व पानीदेवी द्वारा दिनांक 18.01.2012 को रजिस्टर्ड हकतर्कनामा भंवरलाल पुत्र श्री राणाराम के पक्ष में निष्पादित किया गया है जो ग्राम सालावास के ख0सं0 599/1 रकबा 19.03 बीघा के बारे में निष्पादित किया है जिसका नामान्तरकरण भी दिनांक 19.11.2012 को दर्ज कर दिया गया है जिसकी प्रथम अपील 07 वर्ष पश्चात दिनांक 06.07.2021 को दायर की गई है उक्त अपील के संलग्न धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रकाशमल के द्वारा नामा0 की नकल प्राप्त होने पर इस प्रकरण की जानकारी होना प्रतिवेदित किया है जबकि प्रकाशमल उक्त हकतर्कनामें में पार्टी है व उसकी उपस्थिति में हकतर्कनामा निष्पादित हुआ है। प्रकाशमल के द्वारा साफ मन से अधिनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील दायर नहीं की गई

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार उक्त कारण "Sufficient Cause" की श्रेणी में नहीं आता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

रजिस्टर्ड हकतर्कनामे के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन अपने आदेश में नहीं किया है जो आज भी अस्तित्व में है। रजिस्टर्ड हकतर्कनामा जो कि नामा० संख्या 3057 को स्वीकृत करने का मुख्य आधार है, इसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय का भी कोई निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही रजिस्टर्ड हकतर्कनामा अनुसार प्रकाशमल ने भी भंवरलाल को राणाराम का पुत्र माना है। भंवरलाल के किसी अन्य का पुत्र होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज यथा आधार कार्ड, कृषि जोत पासबुक, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में से कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है व न ही पत्रावली पर मौजूद है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन करने एवं उपलब्ध दस्तोवजों के अवलोकन के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.03.2022 के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3057 दिनांक 19.11.2012 को खारिज किये जाने सम्बन्धी लिया गया निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ० पी० बिश्नोई)